(5) (1)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : आर.के. जैन

सदस्य

प्रकरण क्रमांक- निगरानी 1032-पीबीआर/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 25-01-2017 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद का अपील प्रकरण क्रमांक 148/2015-16

.....

१- लालता प्रसाद आ. शिवकरण राजपूत
२- जुगल किशोर आ. लालता प्रसाद राजपूत
निवासीगण- हिवाला तह. खिरकिया,
जिला-हरदा

----------आवेदकगण

विरूद्ध

प्रकाशोदेवी पत्नी एस.पी. गोयल
निवासी- ग्राम मांदला तहसील खिरकिया
जिला-हरदा

----------अनावेदिका

.....

श्री जी.एस. राय, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री संदीप दुबे, अभिभाषक, अनावेदिका

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 03.10.2018 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-01-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदिका द्वारा ग्राम मंदला पटवारी हल्का नं. 12 स्थित भूमि खसरा नं. 24/12, 25/4, 25/5, 25/8 कुल रकबा 17.75 एकड़ का सीमांकन कराने पर उक्त भूमि में से 1.00 एकड़ भूमि पर आवेदकगण का कब्जा पाये जाने पर संहिता की धारा 250 के अंतर्गत आवेदन पत्र तहसीलदार खिरकिया के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार खिरकिया द्वारा कार्यवाही करने के उपरांत दिनांक 16-07-2014 को आदेश पारित कर आवेदकगण को अवैध

कब्जा हटाने का आदेश दिया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी खिरकिया के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 10-02-2015 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 16-07-2017 निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदिका द्वारा अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई, जो दिनांक 25-01-2017 से स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ मेरे द्वारा उभयपक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किया गया, जिसका अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदिका द्वारा तहसीलदार खिरकिया के प्रकरण क्रमांक 68/अ-12/2009-10 में हुये सीमांकन आदेश, जिसमें आवेदकगण का अनावेदिका की 1.00 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया था । अनावेदिका द्वारा उक्त सीमांकन के आदेश पर संहिता की धारा 250 के कब्जा हटाने का आवेदन पत्र तहसीलदार खिरकिया के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार खिरकिया ने आवेदकगण को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत एवं दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरांत आदेश दिनांक 16-07-2014 से बेदखली के आदेश दिये, जिसे अपर आयुक्त ने स्थिर रखा है । जहॉ तक अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का प्रश्न है, अनुविभागीय अधिकारी ने मात्र इस आधार पर अपील स्वीकार की है कि संहिता की धारा 250 के अंतर्गत अनावेदिका द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है क्योंकि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 (1) (क) (ब) के अनुसार सीमांकन दिवस के 2 वर्ष के अंदर बेदखली का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में अनावेदिका द्वारा तहसीलदार के समक्ष 11 माह में बेदखली का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जो कि समय-सीमा में है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी के अवैधानिक आदेश को अपर आयुक्त द्वारा निरस्त करने में विधिसम्मत कार्यवाही की गई है जो स्थिर रखे जाने योग्य है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-01-2017 स्थिर रखा जाता है।

(आर.के. जैन)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश
ग्वालियर,